



दिनांक: 24-03-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 मोबाइल चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 14 एंड्राइड मोबाइल, 02 चाकू व अवैध अस्लाह/कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23/03/2024 को वादी श्री हरीश उर्फ हन्नी पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम मुबारिकपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाँव मुबारिकपुर से वादी मुकदमा तथा अन्य लोगो के मोबाइल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 105/24 धारा 380 भा.द.वि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं की रोकथाम व घटनाओं के अनावरण हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व आज दिनांक 24/03/2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण (1) तसव्वर पुत्र साबिर नि0 ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर, (2) जुल्फान उर्फ काले पुत्र मीरहसन नि0 सांगाठेडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर व (3) इस्तकार पुत्र साजिद नि0 ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर को मुबारिकपुर गांव के गेट से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 14 चोरी के मोबाइल, 02 चाकू व 01 तमंचा/02 जिन्दा कारतूस बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 106/24 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट व 411 भा.द.वि का अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

अभियुक्तगण से अवैध तमंचा व कारतूस व चाकू तथा बरामद मोबाईलो के बारे पूछताछ की गयी तो तीनों अभियुक्तगणों ने एक स्वर में बताया किया जो मोबाईल हमसे बरामद हुए वह मोबाईल हम लोगो के द्वारा गांव से ही अलग अलग जगह से रात्रि में चोरी किये है। हम तीनों नशा करते है तथा उसकी पूर्ति के लिए छोटी मोटी चोरी रात्रि में करते रहते है तथा मोबाईलो को अपना बताकर दो-चार हजार रूपयो में राह चलते लोगो को बेच कर पैसा ले लिया करते है तथा जो अस्लाह हम से बरामद हुए है वह हमने चोरी करते समय लोगो को डरा धमका कर भाग जाने व रौब गालिब करने के लिए रखते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- (1) तसव्वर पुत्र साबिर नि0 ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- (2) जुल्फान उर्फ काले पुत्र मीरहसन नि0 सांगाठेडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- (3) इस्तकार पुत्र साजिद नि0 ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस

- 02 अदद नाजायज छुरा
- 01 लावा कम्पनी का मोबाईल IMEI NO रंग काला 356375413844362 व 356375413844354
- 01 सैमसंग कम्पनी का मोबाईल IMEI NO 2/44011822/358216 व 1/011822/28/357510
- 01 मोबाईल IMEI NO कम्पनी इनफिनिक्स ब्लू 35473137799799 व 354731377997988
- 01 मोबाईल IMEI No एमआई रंग सिलवर कम्पनी 868985035334153 व 868985035334146
- 01 मोबाईल IMEI No कम्पनी रियल मी रंग 01/868948055672563 व 01/868948055672571 काला
- 01 रैडमी कम्पनी का मोबाईल रंग काला IMEI NO 5304261110971 व 862759044430963
- 01 सैमसंग कम्पनी का मोबाईल रंग हरा IMEI No व 01/350386308384667 01/350618528384667
- 01 सैमसंग कम्पनी का मोबाईल रंग काला IMEI No व 01/3539374990381264 01/3567559750381262
- 01 वीवो कम्पनी का मोबाईल रंग नीला IMEI No 867600057700063 व 867600057700071
- 01 मोबाईल IMEI No 866484046459839 व 86484046459821
- 01 मोबाईल IMEI NO कम्पनी वीवो ब्लू 869084045117565 व 869084045117573 .1
- 01 मोबाईल IMEI रंग काला कम्पनी नोकिया 355824099019014 व 355824095018713
- 01 मोबाईल IMEI NO 352047497366927 व 352047497366935 रंग ब्लू कम्पनी आईटेल
- 01 मोबाईल IMEI No डकम्पनी जियो कीपै 911661753683553

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री संजय कुमार शर्मा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. है0का0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. हे0का0 322 मोनू चिकारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. का0 1606 दीपक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
8. का0 1839 सन्नी राणा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक: 24.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 100 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद तथा 400 लीटर लहन मौके पर नष्ट किया गया

बरामदगी:-

- 02 प्लास्टिक के ड्रम
- 02 प्लास्टिक की जरीकैन
- 01 टीन का कनस्तर
- 01 मिट्टी की ढक्कन
- 02 फुट प्लास्टिक का पाईप
- 01 कांच की बोतल (आधा लीटर कच्ची शराब सहित)
- लोहे का तसला बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी होली त्यौहार व लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व अवैध शराब व नशीले पदार्थों की तस्करी/निर्माण की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.03.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त मन्नू पुत्र राजवीर निवासी ग्राम सिरसका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को ग्राम सिरसका से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध 100 लीटर कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरण (02 प्लास्टिक के ड्रम, 02 प्लास्टिक की जरीकैन, 01 टीन का कनस्तर, 01 मिट्टी की ढक्कन, 02 फुट प्लास्टिक का पाईप, 01 कांच की बोतल (आधा लीटर कच्ची शराब सहित), लोहे का तसला बरामद तथा करीब 400 लीटर लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 85/24 धारा 60(2) आबकारी अधि0 बनाम मन्नू उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त मन्नू उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। इसी लिए मैं अवैध तरीके से शराब बनाकर बेचने का काम करता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है। जो माल आज आप लोगों ने मेरे घर से पकड़ा है मैंने उसे होली के लिए तैयार किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मन्नू पुत्र राजवीर निवासी ग्राम सिरसका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 100 लीटर अवैध कच्ची शराब
- 02 प्लास्टिक के ड्रम
- 02 प्लास्टिक की जरीकैन,
- 01 टीन का कनस्तर,
- 01 मिट्टी की ढक्कन,
- 02 फुट प्लास्टिक का पाईप
- 01 कांच की बोतल (आधा लीटर कच्ची शराब सहित)
- 01 लोहे का तसला बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री बीरबल सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ०नि० श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है०का० 713 नितिन कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. है०का० 277 आदित्य सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



प्रेस नोट

दिनांक 24.03.2024 -4

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा जिला बदर घोषित 03 अभियुक्तों के घर पर नोटिस चरपा किया गया तथा मुनादी करायी गयी

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य , 2024-निर्वाचनके दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 03 जिला बदर अभियुक्त गण .1 शाहबान पुत्र इरफान .2 मुन्साद उर्फ काला पुत्र ताहिर व .3 शौकीन पुत्र ताहिर निवासी गण ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को चोरी के मामले में अन्तर्गत धारा यूपी 03 सहारनपुर के अदेशानुसार (वित्त एवं राजस्व) गुण्डा एक्ट की कार्यवाही के फलस्वरूप श्रीमान अपर जिलाधिकारी जिला बदर घोषित किया गया। आदेश के अनुपालन में थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त गण .1 शाहबान .2 मुन्साद उर्फ काला .3 शौकीन उपरोक्त के घर पर ना मिलने पर मकान के दरवाजे पर आदेश की एक प्रति चरपा कराया गया तथा गाजे बाजे आदि से मुनादी करायी गयी।

जिला बदर अभियुक्त का नाम व पता:-

- .1 शाहबान पुत्र इरफान निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
- .2 मुन्साद उर्फ काला पुत्र ताहिर निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
- .3 शौकीन पुत्र ताहिर निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

अभि- शाहबान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास 0

- .1 मु भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 379 धारा 22/217 0स0अ0
- .2 मु भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 414 धारा 22/218 0स0अ0
- .3 मु भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 411/420 धारा 22/219 0स0अ0

अभि- मुन्साद उर्फ काला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास 0

- .1 मु भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 379 धारा 22/217 0स0अ0
- .2 मु भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 414 धारा 22/218 0स0अ0
- .3 मु भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 411/420 धारा 22/219 0स0अ0

अभि- शौकीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास 0

- .1 मु भादवि थाना मिर्जापुर 379 धारा 22/217 0स0अ0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
- .2 मु भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 414 धारा 22/218 0स0अ0
- .3 मु भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 411/420 धारा 22/219 0स0अ0

मुनादी कराने वाली पुलिस टीम:-

- .1 श्री प्रवेश सिंहप्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर सहारनपुर । ,
- .2 व 0नि0उ0 श्री मनोज कुमार थाना मिर्जापुर सहारनपुर ।
- .3 उ श्री भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 0नि0
- .4 कासंदीप कुमार थाना मिर्जापुर सहारनपुर । 2453 0
- .5 कारोहित कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर। 2219 0



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 34 टेढ़ा पैक अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एव मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त शाहरुन उर्फ शाहरुख पुत्र मुजाहिर हसन निवासी जैन कालोनी, खाताखेडी थाना मण्डी, सहारनपुर को सरकारी स्कूल सिराज कालोनी के गेट के सामने से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 34 टेढ़ा पैक अवैध देशी शराब बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 116/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया कि यह शराब मैं ठेके से खरीदकर लाया था जिसे मैं ठेका बन्द होने के बाद ऊंचे दामों पर बेच देता हूँ इससे मेरी अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहरुन उर्फ शाहरुख पुत्र मुजाहिर हसन निवासी जैन कालोनी, खाताखेडी थाना मण्डी, सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

34 टेढ़ा पैक अवैध देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
2. है0का0 516 सोनू कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
3. है0का0 477 विनोद थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द पुलिस द्वारा नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 09/03/2024 को मुकदमा वादी ने थाने पर आकर लिखित सूचना दी कि वादी की नाबालिग पुत्री को सौरभ पुत्र राजू निखोसपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर बहला फुसलाकर ले गया है 0। वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0सं0अ0- /9824 धारा 363 भादवि बनाम सौरभ उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का सज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी व अपहृता की बरामदगी हेतु आदेश निर्देश-दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक देवबन्द के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.03.को मुखबिर की सूचना 2024 पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सौरभ पुत्र राजू निवासी खोसपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर को पीलर न10 0 से गिरफ्तार किया गया तथा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 3 भादवि व 376/पोस्को अधिनियम की वृद्धि की गयी। 4 अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिककार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सौरभ पुत्र राजेश निवासी खोसपुरा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ 0नि0मनाजिर हुसैन थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. हे655 0का0 कमलेश यादव थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24. 03. 2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से कुल 86 पच्चे शराब उ 0प्र0 मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रणशराब तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे , अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.03.24 को मुखबिर की सुचना पर चैकिंग के दौरान थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा शातिर शराब तस्कर 01 अभियुक्त **अमित पुत्र बलवन्त निग्राम डेहरा थाना देवबंद सहारनपुर 0** को अम्बेहटा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **पच्चे देशी शराब 86 अंगूरी उमार्का 0 प्र0** बरामदगी के आधार पर थाना देवबंद पर **मु144 0स0अ0/ धारा 2460** आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अमित पुत्र बलवन्त निग्राम डेहरा थाना देवबंद सहारनपुर। 0

बरामदगी का विवरण –

➤ कुल पच्चे अंगूरी देशी शराब। 86

आपराधिक इतिहास –

➤ मु141 0स0अ0/ 60 धारा 23(1) आबकारी अधिनियम थाना देवबंद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ आजाद सिंह 0नि0थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
- 2- का मोहित 2449 0थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
- 3- का अंकुल कुमार थाना देवबंद जिला सहारनपुर 2457 0।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 30 पाउच अवैध दे (ट्रैटा पैक)शी शराब महबूबा गोल्ड उ 0प्र0मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं मादक पदार्थों की तस्करी 2024की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ़ श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.03.को 2024 मुखबिर की सुचना पर चैकिंग के दौरान थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा एक शातिर शराब तस्कर **अभियुक्त कोमित पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम थापुल हरिजन थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर** को ग्राम थापुल हरिजन तिराहे इन्टर स्टेट बोर्डर कस्बा बिहारीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से **30 पाउच अवैध दे (ट्रैटा पैक)शी शराब महबूबा गोल्ड उ 0प्र0मार्का** बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना बिहारीगढ़ पर **मु 0सं0अ055/2024 धारा आबकारी अधिनियम 60** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त **कोमित** उपरोक्त ने बताया कि मैं शराब को ठेके से खरीदकर आस पास के लोगों को अधिक दामों पर बेचकर पैसे कमा लेता हूँ। जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कोमित पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम थापुल हरिजन थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

अवैध देशी शराब महबूबा गोल्ड (ट्रैटा पैक) पाउच 30 उ 0प्र0मार्का

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु135 0स0अ0/379 धारा 16/ भादावि थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर411
2. मु187 0स0अ0/454 धारा 17/350/ भादावि थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर 511
3. मु236 0स0अ0/ युपी गुण्डा थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर 3 धारा 17
4. मु23 0स0अ0/ आबकारी थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर 60 धारा 15
5. मु26 0स0अ0/ जी सीआरपीसी थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर 110 धारा 18
6. मु91 0स0अ0/4 धारा 21/ आर्म्स एक्ट थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर 25
7. मु237 0स0अ0/युप 10 धारा 21 ी गुण्डा थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
8. मु238 0स0अ0/4 धारा 21/ आर्म्स एक्ट 25थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र चौधरी थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर।
2. काप्रताप सिंह थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर। 2474 0



-प्रेस नोट-

दिनांक24 -.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार 270 कब्जे से ,
ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रणमादक पदार्थों एवं अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व , इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.03. को मुखबिर की सूचना पर 2024थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त फरमान पुत्र यूनस नि ग्राम गन्देवड़ा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर 0**को ग्रीन पार्क कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से ग्राम अवैध चरस 270बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु/56 0सं0अ024 धारा 8/ एनडीपीएस एक्ट 20पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय माननीय न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ। चरस सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं चरस बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फरमान पुत्र यूनस निग्राम गन्देवड़ा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर 0

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु219 0सं0अ0/ भादवि थाना फतेहपुर 188 धारा 20
2. मु217 0सं0अ0/8 धारा 22/एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर 20
3. मु67 0सं0अ0/ थाना फतेहपुर 0आबकारी अधि 60 धारा 23

बरामदगी का विवरण-

ग्राम अवैध चरस बरामद 270

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सोनू राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. है रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला 961 0का0सहारनपुर
3. हैसुनील थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर 24 0का0
4. है प्रदीप थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर 307 0का0



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा शातिर 01 मोबाइल चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01

नाजायज चाकू व 06 अलग-अलग कम्पनी के मोबाइल फोन बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत 2024 जनपद में अपराध नियंत्रणमोबाइल चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों, की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त मौ 0 सरफराज पुत्र अब्दुल वली निवासी मौ 0 हसनपुरा किरतपुर जिला बिजनौर को अंगूरी मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 नाजायज चाकू व मोबाइल 06 फोन) 01 ऐप्पल आई फोन, 01 रेडमी 9A, 01 वीवो एस-1, 02 फीलिप्स कीपैड (लावा व टैक्नो स्पार्क, बरामद हुए। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु/115 0स0अ024 धारा 4 भादवि व 414/ आर्म्स एक्ट पंजीकृत 25 किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त सरफराज उपरोक्त ने बताया कि जो मोबाइल पुलिस टीम द्वारा मुझसे आज बरामद किये गये हैं वो मैंने दिल्ली रेलवे स्टेशन से चोरी किये थे। आज सहारनपुर में चोरी किये गये मोबाइल को बेचने आया था तभी पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया। चाकू मैं लोगो को डराने व धमकाने के लिये रखता हूँ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मौहसनपुरा किरत 0सरफराज पुत्र अब्दुल वली निवासी मौ 0पुर जिला बिजनौर।

बरामदगी का विवरण -

- 01 चाकू नाजायज
- मोबाइल 06 फोन) 01 ऐप्पल आई फोन 15,9 रेडमी 01A, 01 वीवो एस-1, 02 फीलिप्स कीपैड 01 लावा व, (टैक्नो स्पार्क

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ राजकुमार त्यागी थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर 0नि0
2. है अमित कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर 451 0का0
3. काब्रजवीर राणा थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर 71 0



दिनांक: 24.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अवैध शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे से 30 पाउच (ट्रैटा पैक) अवैध देशी शराब महबूबा गोल्ड मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों व अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.03.2024 को चैकिंग के दौरान थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त सुनील काम्बोज पुत्र मंगतराम निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर** को ग्राम मनोहरपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 30 पाउच (ट्रैटा पैक) अवैध देशी शराब महबूबा गोल्ड मार्का बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना बिहारीगढ पर **मु0अ0स0 56/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त **सुनील काम्बोज** उपरोक्त ने बताया कि मैं देशी शराब को ठेके से खरीदकर ठेका बंद होने पर आस-पास के लोगों को अधिक दामों पर बेचकर पैसे कमा लेता हूँ। जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज जब मैं देशी शराब बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुनील काम्बोज पुत्र मंगतराम निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

9. मु0अ0स0 109/04 धारा 325/504/506 भादवि थाना बिहारीगढ सहारनपुर
10. एनसीआर 22/06 धारा 323/504/506 भादवि थाना बिहारीगढ सहारनपुर
11. मु0अ0स0 121/05 धारा 302 भादवि थाना ज्वाला पुर हरिद्वार
12. मु0अ0स0 61/08 धारा 3 युपी गुण्डा थाना बिहारीगढ सहारनपुर
13. मु0अ0स0 194/14 धारा 395/397/411 भादवि थाना बिहारीगढ सहारनपुर
14. मु0अ0स0 100/14 धारा 399/402 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
15. मु0अ0स0 106/14 धारा 392/411 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
16. मु0अ0स0 180/14 धारा 394 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
17. मु0अ0स0 128/14 धारा 394 भादवि थाना बिहारीगढ सहारनपुर
18. मु0अ0स0 343/14 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना बेहट सहारनपुर
19. मु0अ0स0 813/01 धारा 395/397 /412 भादवि थाना बिहारीगढ सहारनपुर

20. मु0अ0स0 30/02 धारा 395/397/412 भादवि भादवि थाना को0 देहरादून
21. मु0अ0स0 947/2000 धारा 392/411 भादवि थाना को0 देहरादून
22. मु0अ0स0 448/01 धारा 395/397 भादवि थाना जगादरी
23. मु0अ0सं0 56/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 30 पाउच (ट्रैटा पैक) अवैध देशी शराब महबूबा गोल्ड मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री इन्द्रजीत सिंह थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
2. है0का0 1025 रविन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 24.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रणवारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे /वांछित , अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा वारण्टी 01अभियुक्त ताराचन्द पुत्र रामदास निवासी ग्राम नल्हेडा थाना चिलकाना सहारनपुर को संबंधित एनबीडब्ल्यू/82/83 सीआरपीसी वाद सं 0 2326/222—0सं0अ0मु 2024/379 धारा 1995/भादवि चालानी थाना को 411तवाली नगर को उसके घर ग्राम नल्हेडा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

ताराचन्द पुत्र रामदास निवासी ग्राम नल्हेडा थाना चिलकाना सहारनपुर।

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

मु222—0सं0अ0/379 धारा 1995/भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर। 411

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

- उ 0नि0विनोद सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
- का अनुज राणा थाना चिलकाना 1059 0सहारनपुर।



दिनांक: 24-03-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना बेहट पुलिस द्वारा एक शातिर शराब तस्करी अभियुक्त गिरफ्तार, 45 बोतल देशी
शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण /शराब की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.03.2024 को थाना बेहट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान अभियुक्त **अशोक कुमार पुत्र सौरण सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बेहट जिला सहारनपुर** को ग्राम शेखपुरा से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 45 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना बेहट पर **मु0अ0स0-104/2024 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त अशोक कुमार उपरोक्त ने बताया कि मैं एक हाथ से विकलांग हूँ जिस कारण मजदूरी नहीं कर सकता हूँ इसलिए मैं यह शराब हरियाणा से खरीद कर लाया था जिसे मे आस पास बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अशोक पुत्र सौरण सिंह नि0 ग्राम शेखपुरा थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी

45 बोतल देशी शराब हरियाणा राज्य की

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री हरिओम सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. का0 2556 विशाल बाबू थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्करी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 24 बेतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त अरमान पुत्र इरफान निवासी ग्राम दुधगढ थाना चिलकाना सहारनपुर को ग्राम कच्चा पक्का तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 24 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 70/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ। देशी शराब सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं देशी शराब बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अरमान पुत्र इरफान निवासी ग्राम दुधगढ थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामदगी-

24 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

- उ0नि0 करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
- है0का0 246 हेमन्त कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर